[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] 7/18	पत्रावली [illegible] वकील वादी/प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी के राजकार्य में [illegible] पाई नहीं है। [illegible] पत्रावली पुनः दिनांक ---- 12/5/18 ---- को पेश हो।	
12.5.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। पत्रावली पुर्ववत दिनांक 24.5.18 को पेश हो।	
24/5	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक ~~[illegible]~~ 30/6/18 को पेश हो।	
27/6/18	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई पक्षकारान के मध्य सहमति नही बन पाई, पत्रावली दि. 6/7/18 को न्यायालय में पेश हो।	
11.7.18	पत्रावली उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करनें पर आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राजीनामा उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया गया। उपस्थित पक्षकारान् ने मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किये जानें में सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादनी की पहचान वकील श्री भारत शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री मायाराम स्वामी द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा प्रस्तुत कर पक्षकारान् ने कथन किये कि वादनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। जिसमें राजीनामा अनुसार ग्राम बनेठियां के ख0नं0 186 व 187, 132, 206, 207 में वादनी का नाम मन्जूबाई उर्फ विष्णुबाई दर्ज है तथा ग्राम हनोतियां में स्थित ख0नं0 168, 275, 294, 567, 627, 630, 637 में वादनी का नाम मन्जू बाई उर्फ विष्णुबाई उसके पिता लक्ष्मीनारायण की जगह दर्ज किया जावे। ग्राम बनेठियां एवं हनोतियां में लक्ष्मीनारायण के हिस्से की भूमि 1.14 हे0 भूमि बनती है। जो वादनी के हिस्से में आती है।	वादिनी विष्णु प्रतिवादीगण जगदीश भैरुलाल प्रतिवादी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो कि... तामील...

वादनी ग्राम बनेठियां में स्थित ख0नं0 206 रकबा 1.44 है0 में से 1.28 है0 भूमि पर वादनी का नाम दर्ज किया जावें तथा ग्राम बनेठियां में वादनी का जो हिस्सा बनता है। उसमें प्रतिवादी नं0 1 श्याम सुन्दर का नाम ख0नं0 206 रकबा 1.44 है0 भूमि में से 0.16 है0 भूमि दिशा दक्षिण चबूतरे के सहारे नाम दर्ज किया जावें तथा वादनी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री जारी की जावें तथा खातेदार घोषित किया जावें तथा वाद में अन्य पक्षकार से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा के आधार पर डिक्री फरमाई जावें। प्रस्तुत राजीनामा पर विधिक विचारण किया गया। ग्राम हनोतियां तहसील दीगोद स्थित जमाबंदी सं0 2036–39 में विवादित खातें की स्थित इस प्रकार थी कि "रामचन्द्र, बद्रीलाल, लक्ष्मीनारायण, राधाकिशन, चतुर्भुज पुत्रान कजोड बिरधी पुत्री कजोड धन्नी बेवा कजोड बच्वी बेवा मोहन रूकमणी राधा पुत्री मोहन" दर्ज रिकॉर्ड था। किन्तु बाद सेटलमेंट जमाबंदी में लक्ष्मीनारायण का नाम दर्ज नहीं किया गया। लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करनें से उक्त इन्द्राज में त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। सम्बन्धित पक्षकारान नें लक्ष्मीनारायण की वारिस पुत्री मन्जू बाई उर्फ विष्णुबाई का नाम उक्त खातें में दर्ज किये जानें की सहमति प्रकट की है। जिसकी ऐवज में मन्जू बाई उर्फ विष्णुबाई नें ग्राम बनेठियां स्थित ख0नं0 206 रकबा 1.44 है0 भूमि में निहित हिस्से में से 0.16 है0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 श्याम सुन्दर के नाम दर्ज करनें की सहमति प्रकट की है। जिसकी पंजीयन एवं शुल्क की राशि प्रतिवादी नं0 1 स्वयं जमा करवायेगा। उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है जिससे प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।।

अतः वाद वादनी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हनोतियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 168 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 275 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 294 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 567 रकबा 1.34 है0, ख0नं0 627 रकबा 0.76 है0, ख0नं0 630 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 637 रकबा 0.08 है0 कुल किता 7 रकबा 4.82 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के कॉलम नं0 4 (काश्तकार का नाम आदि) में निम्नानुसार प्रविष्टि अंकित की जावें "शंकर लाल सियाराम पुत्रान व कैलाश पुत्री व गुलाब पत्नी स्व0 रामचन्द्र भैरूलाल जगदीश श्याम सुन्दर रामनिवास पुत्रान व रामजानकी पत्नी स्व0 व गीताबाई पुत्री बद्रीलाल विष्णु बाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण बिरधी पुत्री कजोड बच्वी पत्नी स्व0 मोहनलाल रूकमणी राधा पुत्रीयां मोहनलाल चतुर्भुज पुत्र कजोड चन्द्र प्रकाश पुत्र राजेश किशकन्धा पुत्रियां भूली बाई पत्नी राधाकिशन जाति अहीर सा0 देह" दर्ज किया जावें। तथा ग्राम बनेठियां स्थित ख0नं0 132, 206, 207, 186, 187 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मन्जू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर विष्णु बाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज किया जावें। एवं ग्राम बनेठिया स्थित ख0नं0 206 रकबा 1.44 है0 भूमि

Scanned by CamScanner

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में से विष्णुबाई उर्फ मन्जू बाई के निहित हिस्से में से 0.16 हे0 भूमि कम करते हुए प्रतिवादी नं0 1 श्याम सुन्दर के नाम दर्ज की जावें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

विष्णु बाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण पत्नी महेन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादनी

बनाम

1. श्याम सुन्दर पुत्र बद्रीलाल जाति अहीर निवासी बनेठियां हाल नयागांव रोजडी पुलिया के पास कोटा
2. जगदीश पुत्र बद्रीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बनेठियां तहसील दीगोद जिला कोटा
3. भैरूलाल पुत्र बद्रीलाल जाति अहीर
4. रामनिवास पुत्र बद्रीलाल जाति अहीर
5. रामजानकी बेवा बद्रीलाल जाति अहीर
6. गीताबाई पुत्री ब्रदीलाल जाति अहीर निवासीगण ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा
7. चतुर्भुज पुत्र कजोड जाति अहीर निवासी दुर्गा गली, शिवजी के मंदिर के पास कुन्हाडी कोटा जिला कोटा
8. बिरधी बाई पुत्री कजोड पत्नी गोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा
9. शंकर लाल पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
10. सियाराम पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
11. कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर
12. गुलाब बाई बेवा रामचन्द्र जाति अहीर
13. चन्द्रप्रकाश पुत्र राधा किशन जाति अहीर
14. राजेश पुत्री राधा किशन जाति अहीर
15. भूली बाई बेवा राधा किशन जाति अहीर निवासीगण बनेठियां तहसील दीगोद जिला कोटा
16. किशकिन्धा पुत्री राधा किशन पत्नी पुरूषोत्तम जाति अहीर निवासी खातोली रोड, इटावा जिला कोटा
17. बच्छी बाई पत्नी मोहन जाति अहीर निवासी ग्राम सुहाना तहसील दीगोद जिला कोटा
18. रूकमणी बाई पुत्री मोहन पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी गोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा
19. राधा बाई पुत्री मोहन जाति अहीर निवासी बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188–92ए आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–88/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री भारत शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री मायाराम स्वामी एडवोकट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादनी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हनोतियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 168 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 275 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 294 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 567 रकबा 1.34 हे0, ख0नं0 627 रकबा 0.76 हे0, ख0नं0 630 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 637 रकबा 0.08 हे0 कुल किता 7 रकबा 4.82 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के कॉलम नं0 4 (काश्तकार का नाम आदि) में निम्नानुसार प्रविष्टि अंकित की जावें "शंकर लाल सियाराम

Scanned by CamScanner

पुत्रान व कैलाश पुत्री व गुलाब पत्नी स्व0 रामचन्द्र भैरूलाल जगदीश श्याम सुन्दर रामनिवास पुत्रान व रामजानकी पत्नी स्व0 व गीताबाई पुत्री बद्रीलाल विष्णु बाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण बिरधी पुत्री कजोड बच्ची पत्नी स्व0 मोहनलाल रूकमणी राधा पुत्रीयां मोहनलाल चतुर्भुज पुत्र कजोड चन्द्र प्रकाश पुत्र राजेश किशकन्धा पुत्रियां भूली बाई पत्नी राधाकिशन जाति अहीर सा0 देह" दर्ज किया जावें। तथा ग्राम बनेठियां स्थित ख0नं0 132, 206, 207, 186, 187 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मन्जू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण के स्थान पर विष्णु बाई उर्फ मन्जू बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण दर्ज किया जावें। एवं ग्राम बनेठिया स्थित ख0नं0 206 रकबा 1.44 हे0 भूमि में से विष्णुबाई उर्फ मन्जू बाई के निहित हिस्से में से 0.16 हे0 भूमि कम करते हुए प्रतिवादी नं0 1 श्याम सुन्दर के नाम दर्ज की जावें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 11.07.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner